शाहदरा वाटर वर्क्स प्लान्ट और दिल्ली में गंगाजल की सप्लाई

1336. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्लाई और मल निकास उपक्रम द्वारा शाहदरा वाटर वर्क्स प्लांट का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था और वह कब पूरा हुआ ;

(ख) क्या यह रिपोर्ट अनेक बार दूरदर्शन पर प्रसारित की गई थी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी कि एशियाड 1982 तक दिल्ली में गंगाजल की सप्लाई कर दी जायेगी परन्तु अभी तक सप्लाई नहीं की गई और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) दिल्ली में भविष्य में पीने के प्रयोजन के लिए गंगाजल की सप्लाई कब तक कर दी जायेगी; और दिल्ली में इस समय पानी की प्रति व्यक्ति खपत अनुमानतः कितनी होगी और उस पर कुल व्यय कितना होगा और उससे कितना राजस्व मिलेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा जल शोधन संयन्त्र पर सन् 1980 में कार्य आरम्भ हुआ और यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस संस्थान के अनुसार शाहदरा जल शोधन संयन्त्र को एशियाड खेलों से नहीं जोड़ा गया था और यद्यपि, इस संयन्त्र के एक भाग को एशियाड से पूर्व चालू करने के प्रयास किये गए थे परन्तु सीमेन्ट की कमी, पम्प की मुख्य लाइन के लिए सीधाई प्राप्त करने में कठिनाइयां, कतिपय पाइपों, विशेष सामग्रियों, उपकरण इत्यादि की पूर्ति में विलम्ब के कारण यह सम्भव नहीं हुआ ।

(ग) इस संस्थान को आशा है कि दिल्ली में गंगा के पानी को चालू वर्ष के अन्त तक सप्लाई किया जायेगा । इस संस्थान ने बताया है कि उस समय तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की पानी की खपत शहरी क्षेत्रों में लगभग 60 गैलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 गैलन होगी ।

इस संस्थान ने सूचित किया है कि मुराद नगर से दिल्ली तक कच्चे पानी को पहुंचाने तथा मुख्य पाइपों और वितरण प्रणाली को बिछाने सहित शाहदरा जल शोधन संयन्त्र के विभिन्न घटकों पर सम्भावित व्यय 55 करोड़ रु० के आस-पास होगा और पानी के प्रभारों की विद्यमान दरों के हिसाब से 100 एम० जी० डी० की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 636 लाख रुपये के आस-पास अनुमानित राजस्व की आशा की जाती है।

भूतपूर्व मंत्रियों और संसद् सदस्यों द्वारा सरकारी आवासों पर कब्जा

1337. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक गैर सरकारी व्यक्तियों, भूतपूर्व मन्त्रियों और संसद् सदस्यों ने अभी तक मकानों, फ्लैटों और बड़े बंगलों पर कब्जा कर रखा है और उसके नाम बिजली और पानी शुल्क की बाबत बड़ी धनराशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और उनकी मौजूदा हैसियत क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?